

**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) पश्चिम बंगाल**  
**ट्रेजरी बिल्डिंग्स, 2 गवर्नमेंट प्लेस (पश्चिम), कोलकाता-700001.**

का.आ.सं. Admn.I/Imp.Cell/Fixation of Seniority/2025/2/72

दिनांक: 24.08.2026

**कार्यालय आदेश**

भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के परिणामस्वरूप, जैसा कि मुख्यालय कार्यालय के पत्र सं. 236/स्टाफ (नियुक्ति-V)/व.ले.अ./प्रोन्नति/114-2023 दिनांक 20.08.2026 द्वारा सूचित किया गया है, प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा-1, पश्चिम बंगाल को निम्नलिखित 06 (छः) सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को को पैनल वर्ष 2024 के लिए वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 [₹56,100-₹1,77,500/-] में, सी.सी.एस. (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के अंतर्गत कल्पित आधार पर, दिनांक **23.08.2024 (पूर्वाह्न)** से पदोन्नत करने का आदेश देते हुए प्रसन्नता हो रही ह:-

| क्र.सं. | नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती) |
|---------|---------------------------|
| 1.      | सौरभ मंडल                 |
| 2.      | शिवनाथ भुईयां             |
| 3.      | मौमिता बिस्वास            |
| 4.      | विपुल मल्लिक              |
| 5.      | चिन्मय मंडल               |
| 6.      | अपर्णा दास                |

- परिपत्र सं. 6-staff (Appt-III)/2025 के संदर्भ में पत्र सं. 70 स्टाफ (Appt-III)/165-2024 दिनांक 29.01.2025 के माध्यम से किया गया पदोन्नति/काल्पनिक पदोन्नति माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओए सं. 1450/2025 के परिणाम के अधीन होगा।
- उन्हें वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने के लिए इस कार्यालय के प्रशासन-1 अनुभाग को रिपोर्ट करना है।
- मुख्यालय कार्यालय के पत्र दिनांक 04.07.2025 उपरोक्त एएओ को मुख्यालय कार्यालय द्वारा दिनांक 04.07.2025 के पत्र के माध्यम से सृजित अधिसंख्य पदों के विरुद्ध पदोन्नति की पेशकश की जा रही है।
- यह पदोन्नति भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनरल सिंह एवं अन्य बनाम संबंधित पक्ष, Civil Appeal No. 629/2022, जो SLP (C) No. 30621/2011 से उत्पन्न हुआ है, में दिनांक 28.01.2022 को दिए गए निर्णय तथा उक्त मामलों के समूह में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आगे के आदेशों के अधीन होगी। इसके अतिरिक्त, पदोन्नति डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 12.04.2022 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।
- डी.ओ.पी.टी. के का.ज्ञा. सं. 36012/11/2016-Estt. (Res-I) (Pt-II) दिनांक 15.06.2018 के पैरा 5 के अनुसार, ये पदोन्नतियाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आगे के आदेशों के अधीन होंगी।
- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति पर 02 (दो) वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी। यह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद के भर्ती नियमों की अनुसूची के कॉलम (9) के अनुसार है, जिसे भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में GSR No. 860(E) दिनांक 18.11.2019 द्वारा अधिसूचित तथा 20.11.2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।
- वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने की तिथि से **एक माह के भीतर** FR 22-I (a) (1)/CCS (RP) Rules, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

9. इस कार्यालय आदेश द्वारा दी गई पदोन्नति की बाद में मुख्यालय कार्यालय से प्राप्त होने वाले स्पष्टीकरण/आदेश/अनुदेशों के आधार पर समीक्षा की जा सकती है।

//प्राधिकार: प्रधान महालेखाकार की मंजूरी दिनांक 24.08.2026

फाइल सं. Admn.I/Imp.Cell/Fixation of Seniority/2025/2 में मिसिलबद्ध//

उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. Admn.I/Imp.Cell/Fixation of Seniority/2025/2/370-381

दिनांक: 24.08.2026

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ई-मेल द्वारा अग्रेषित:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता – 700 001.
2. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता – 700 064.
3. सचिवालय, उप महालेखाकार (ए.एम.जी. I व प्रशा.)/ वरिष्ठ उप महालेखाकार (ए.एम.जी.- II)/वरिष्ठ उप महालेखाकार (ए.एम.जी. -III)/ गैर-स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग/ उप महालेखाकार (ए.एम.जी. -IV).
4. वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा.), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, 5वां तल, साल्ट लेक, कोलकाता-700064.
5. वेतन एवं लेखा अधिकारी (लेखापरीक्षा)/ विशेष कक्ष, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.), पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग्स, कोलकाता – 700 001.
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.), प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल का कार्यालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, 5वां तल, साल्ट लेक, कोलकाता-700064. संबंधित व्यक्तियों को, जो आपके कार्यालय में पदस्थ हैं, इसकी सूचना देने का अनुरोध है।
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, (कल्याण/ प्रशासन-2 /प्रशासन-3 /प्रशासन-4 /प्रशासन-5 /ए.एम.जी.-I (मुख्य.) / ए.एम.जी. -II (मुख्य.) / ए.एम.जी.-III गैर स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (मुख्य.) / ए.एम.जी.-IV (मुख्य.) / ई.सी.पी.ए./ एफ.ए.डब्ल्यू / रिपोर्ट/ आई.टी.ए/) संबंधित व्यक्तियों को तदनुसार सूचित करने का अनुरोध किया जाता है।
8. अधिकारिक वेबसाइट में प्रकाशन हेतु ई.डी.पी. अनुभाग को।
9. सचिव, श्रेणी-I/II संघ, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल
10. सभी अनुभागों।
11. संबंधित व्यक्ति।
12. ग्रेडेशन सूची/स्टाफ स्थिति।
13. सूचना पट्ट।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन-I)